बिहार राज्य भंडार निगम

बी–2, प्रथम तल, मौर्यलोक परिसर, पटना–1

अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या :– ED-12 / 2024–25

मात्र अति अल्पकालीन निविदा के अनुसार मुहरबंद लिफाफे में दो बीड प्रणाली (तकनीकी एवं वित्तीय) अन्तर्गत निम्नलिखित निर्माण / मरम्मति / जीर्णोधार आदि कार्य हेतु निविदा आमंत्रित करता है।

1 निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का पदनाम : प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भंडार निगम, पटना
2. निविदा आमंत्रण की तिथि : दिनांक 04.02.2025
3. परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि एवं समय : दिनांक 17.02.2025 से 20.02.2025 के 5:00 बजे अपराह्न तक
4. निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय : दिनांक 21.02.2025 को 5:00 बजे तक
5. तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक 24.02.2025, 12:00 बजे अपराह्न तक
6. वित्तीय बीड खोलने की तिथि व समय : तकनीकी बीड के निष्पादन के पश्चात
8. निविदा बिक्री, प्राप्ति एवं खोलने का स्थान : बिहार राज्य भंडार निगम, मौर्यालोक, पटना के सभागार कक्ष में।
9. निविदा वैधता की अवधि : 120 दिन (तकनीकी बीड खोलने की तिथि से)
10. निविदा स्वीकृत करने वाले पदाधिकारी : प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भंडार निगम, पटना
11. कार्य का विवरणी :–

क्रम	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रु. में)	परिमाण विपत्र का मूल्य 18% GST (रु. में)	अग्रधन की राशि (रु. में)	कार्य समाप्ति की अवधि (माह में)
1	2	3	4	5	6
1.	रक्सौल स्थित गोदाम सं० 01 के क्षतिग्रस्त छत का जीर्णोधार कार्य।	7,90,155.00	1,475.00	15,803.00	दो माह
2.	रक्सौल स्थित गोदाम सं० 02 के क्षतिग्रस्त छत का जीर्णोधार कार्य।	7,76,540.00	1,475.00	15,531.00	दो माह

12. निविदा प्रपत्र मात्र बिहार राज्य भंडार निगम, मौर्यालाक, पटना से प्राप्त किया जा सकता है। वर्त्तमान निविदा की विस्तृत जानकारी वेबसाईट www.bswc.co.in पर देखा जा सकता है। निविदा से संबंधित जानकारी अभियंत्रण शाखा, बिहार राज्य भंडार निगम, बी–2, प्रथम तल, मौर्यलोक परिसर, पटना के दूरभाष संख्या 0612–22225324 / 9471008152 पर भी कार्यालय अवधि में प्राप्त किया जा सकता है।

13. बिहार राज्य भंडार निगम में निबंधित संवेदक ही निविदादाता के रूप में भाग लेगें। निविदादाता प्रत्येक कार्य के लिए अलग–अलग निविदा (तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा) समर्पित करेंगे तथा प्रत्येक कार्य हेतु अलग–अलग निविदा प्रपत्र का मूल्य (BOQ) तथा अग्रधन राशि (EMD) जमा करेंगे। निविदादाता विहित BOQ एवं EMD की राशि जमा कर साक्ष्य के रूप में भुगतान की मूल प्रति तकनीकी बीड के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

14. निविदा दस्तावेज के सभी पृष्ठों पर संवेदक को तिथियुक्त हस्ताक्षर करना अनिवार्य है तथा सभी मुहरबन्द लिफाफे पर ग्रुप संख्या एवं अपना पूरा पता मोबाईल संख्या एवं E- MAILसहित अंकित करना अनिवार्य होगा।

15. विभाग द्वारा निर्गत पहचान पत्र अथवा अद्यतन निबंधन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर हीं निविदा दस्तावेज (परिमाण विपत्र) निर्गत किया जाएगा।

16. निविदा प्रपत्र का मूल्य (BOQ) और अग्रधन राशि (EMD) निविदा के संव्यवहार हेतु निगम के **SBI बैंक के खाता संख्या 32861753504 IFSC Code SBIN0007506, Branch Code 7506, बैंक का नाम– SBI, पता– मौर्यालोक, पटना** में **BIHAR STATE WAREHOUSING CORPORATION** के नाम से NEFT/RTGS माध्यम से जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

17. निविदा के एक मुहरबन्द लिफाफे में प्री क्वालिफिकेशन बीड रहेगा, जिसके साथ संवेदक अपना अद्यतन निबंधन प्रमाण पत्र, जी०एस०टी० निबंधन प्रमाण पत्र, आयकर प्रमाण पत्र की छाया प्रति (स्वअभिप्रमाणित कर) एवं अग्रधन की राशि संलग्न करना होगा तथा दूसरे मुहरबन्द लिफाफे में वित्तीय बीड (प्राईस बीड) रहेगा, जिस पर संवेदक अपना दर अंकित करेंगे, जो दशमलव के बाद दो अंको तक हीं मान्य होगा। इस दोनो मुहरबन्द

लिफाफों को एक तीसरे मुहरबन्द लिफाफे में रख कर ही निविदा डाली जाएगी। यह तीनों लिफाफा विधिवत् सील होना अनिवार्य है, अन्यथा निविदा अमान्य कर दी जाएगी। निविदा में भाग लेने हेतु निम्नलिखित कागजात/प्रमाण पत्र/शपथ पत्र अनिवार्य रूप से तकनीकी बीड में जमा करना होगा :–

i. निविदादाता/संवेदक का आधार कार्ड की प्रति।

ii. निविदादाता/संवेदक का पैन कार्ड की प्रति जिसकी विवरणी अग्रांकित है:–
   a) व्यक्तिगत के लिए (निविदादाता का पैन कार्ड)
   b) फर्म/पार्टनरशीप फर्म के लिए (फर्म का पैन कार्ड)
   c) कम्पनी के लिए (कम्पनी का पैन कार्ड)
   d) समिति के लिए (समिति का पैन कार्ड)

iii. निविदादाता/संवेदक/संस्थान का वित्तीय वर्ष 2021–22 के आयकर रिटर्न की प्रति।

iv. निविदादाता/संवेदक एवं उनके संस्थान के सभी सहभागियों (पार्टनर/डायरेक्टर/सदस्य) का आचरण प्रमाण पत्र जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत की प्रति।

v. निविदादाता/संवेदक/संस्थान का GST निबंधन प्रमाण पत्र की प्रति।

vi. निविदादाता/संवेदक/संस्थान से संबंधित भुगतान का विवरणी संलग्न विहित प्रपत्र ANNEXURE "I" में समर्पित करना होगा।

vii. बिहार राज्य भंडार निगम के पदाधिकारी/कर्मी एवं उनके निकटतम परिजन (माता/पिता/पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री/भाई/बहन/ससुराल पक्ष के संबंधी) निविदा देने के पात्र नहीं होंगें। इस संबंध में शपथ पत्र संलग्न विहित प्रपत्र (ANNEXURE "II") में समर्पित करना होगा।

viii. सजायाफ्ता/सिद्ध दोषी/सरकारी राशि के दुरूपयोग/गबन के दोषी, किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्थान द्वारा काली सूचीबद्ध/प्रतिबंधित (Debarred) तथा जिनकी अग्रधन (EMD)/ प्रतिभूमि राशि (Security Deposite)/ बैंक गारंटी (BG) जब्त की गई हो एवं अनर्हित (Disqualified) हो निविदा देने के पात्र नहीं होंगे। तत्संबंधी से विहित प्रपत्र (ANNEXURE "III") में निर्गत शपथ पत्र जमा करना होगा।

ix. फर्म/कम्पनी एवं समिति की स्थिति में निम्नानुसार कागजात की प्रति जमा करना होगा:–
   a) फर्म/पार्टनरसीप फर्म के लिए रजिस्र्टड पार्टनरशीप डीड।
   b) कम्पनी के लिए registrar of Company द्वारा निर्गत Certificate of Incorporation तथा Memorandum of Association एवं Article of Association और Resolution.
   c) समिति के लिए समिति का Registration Certificate एवं उसका अद्यतन निर्वाचन प्रमाण पत्र, Bye Laws तथा उसका Resolution.
   d) संस्थान के प्रतिनिधि के रूप में निविदादाता होने की स्थिति में प्राधिकृति पत्र/पावर ऑफ अटॉर्नी विहित प्रपत्र (ANNEXURE "IV") में संलग्न करना होगा।

x. प्रत्येक निविदा के लिए निविदा/निविदादाता संबंधी विवरणी विहित प्रपत्र (ANNEXURE "V") में अलग–अलग जमा करना होगा।

xi. निविदादाता/संवेदक एवं उनके संस्थान के सभी सहभागियों (पार्टनर/डायरेक्टर/सदस्य) का विवरण संलग्न विहित प्रपत्र ANNEXURE "V" के (I) अनुलग्नक में समर्पित करना होगा।

xii. बिहार राज्य भंडार निगम में असैनिक कार्य के लिए संवेदक के रूप में निबंधन का प्रमाण पत्र की प्रति।

xiii. उपर्युक्त वांछित कागजात/शपथ पत्र/प्रमाण पत्र तकनीकी बोली अन्तर्गत जमा करना आवश्यक है।

उपरोक्त वर्णित पठनीय प्रति संलग्न ANNEXURE "I", "II ", "III", "IV " एवं "V" तथा परिमाण विपत्र का मूल्य एवं अग्रधन राशि अलग–अलग निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा निविदा अमान्य समझी जायेगी। अद्यतन प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन की प्राप्ति रसीद मान्य नहीं होगा।

18. प्राक्कलित राशि में कमी या वृद्धि हो सकती है। अतः अनुमोदित परिमाण विपत्र के अनुसार ही अग्रधन की राशि देय होगी।

19. निविदादाताओं द्वारा परिमाण विपत्र क्रय करने के पहले कार्य स्थल, प्राक्कलन राशि एवं निर्माण सामग्रियों की उपलब्धता से पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही निविदा जमा करने का परामर्श दिया जाता है। इस संबंध में बाद में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

20. निविदादाताओं को आवंटित कार्य से संबंधित मुख्य निर्माण सामग्रियों का गुण नियंत्रण द्वारा जांचोपरान्त समर्पित प्रतिवेदन भी दिया जाना आवश्यक होगा। जिसके अभाव में भुगतान रोक दिया जा सकता है।

21. वैसे संवेदक जो निविदा में भाग लेने से बंचित है (Debar), अथवा जिनका पूर्व से आवंटित कार्य लंबित चल रहा है, अथवा पूर्व आवंटित कार्य का एकरारनामा अबतक नही किये है या आवंटित कार्य शुरू नहीं किये है निविदा में भाग लेने के पात्र नही होंगे।

22. निधि उपलब्ध होने पर ही एकरारनामा एवं भुगतान किया जायेगा। इस मद में सम्वेदक का कोई भी दावा या ब्याज इत्यादि अनुमान्य नहीं होगा।

23. संवेदक के द्वारा विविध कार्यों के लिए एकरारनामा लोक निर्माण विभाग के प्रपत्र एफ–2 पर किया जाएगा तथा पथ निर्माण विभाग के संकल्प सं0 ए0–21 नियम 08 / 92–613 (ए) दिनांक 18.11.1992 से एकरारनामा प्रपत्र एफ–2 की कंडिका सं0 23 को विलोपित माना जायेगा।

24. कार्य प्रारंभ के पूर्व कार्य के दौरान तथा कार्य समाप्ति के उपरांत अर्थात् कार्य के तीनों स्थितियों से संबंधित कार्य स्थल की फोटोग्राफी / विडियोग्राफी करनी होगी तथा इससे संबंधित फोटोग्राफी / सी0 डी0 संबंधित कनीय अभियंता / सहायक अभियंता को समर्पित करनी होगी जो उन फोटोग्राफी / सी0डी0 की जांचोपरान्त अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु उन्हें निगम के कार्यपालक अभियंता को समर्पित करेंगे।

25. निविदा में अन्तिम रूप में संवेदक का चयन होने के पश्चात एकरारनामा करने के पूर्व संवेदक को कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) कार्यालय में निबंधन कराना अनिवार्य होगा अन्यथा उनके पक्ष में किये गये कार्यावंटन को रद्द कर दिया जायगा। भविष्य में उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा एवं उनका अग्रधन राशि जब्त कर दिया जायेगा।

26. संवेदक को निगम के कार्य पूरा करने के लिए किसी भी प्रकार का उपकरण एवं समाग्रियाँ निगम के द्वारा देय नही होगा।

27. निविदा में मूल निर्माण कार्य / जीर्णोधार / मरम्मति कार्य के साथ–साथ 3 वर्षों के लिए सभी असैनिक कार्यों की Defect liability अवधि होगी। ऐसे मामले में जमानत की राशि संतोषजनक कार्य पूरा होने की स्थिति में कार्य की समाप्ति के बाद निम्न प्रकार से वापस की जायेगी–

(क) कार्य पूर्ण होने के उपरान्त सुरक्षित जमा राशि तथा अतिरिक्त परफॉर्मेंस गारंटी की जमा राशि।

(ख) कार्य पूर्ण होने के 1 वर्ष के उपरान्त 1.5 प्रतिशत।

(ग) कार्य पूर्ण होने के 2 वर्ष के उपरान्त 1.5 प्रतिशत।

(घ) कार्य पूर्ण होने के 3 वर्ष के उपरान्त 2 प्रतिशत।

28. न्यूनतम प्रतिशत दर की कोई सीमा नहीं है। निविदा में परिमाण विपत्र से कम दर अंकित करने पर अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) देय होगा।

29. यह निविदा आमंत्रण सूचना एवं परिमाण विपत्र के साथ निर्गत विशेष शर्त्त भी एकरारनामा का अंग होगा।

30. सभी वांछित आवश्यक कागजात / प्रमाण पत्र / शपथ पत्र आदि एवं अन्य कागजात तकनीकी निविदा के साथ ही संलग्न कर बिहार राज्य भंडार निगम, बी–2, प्रथम तल, मौर्यलोक परिसर, पटना में जमा किया जाना अनिवार्य है। उपर्युक्त वेबसाईट के अलावा अन्य माध्यम से कागजात / प्रमाण पत्र / शपथ पत्र आदि एवं विहित BOQ मूल्य एवं EMD राशि स्वीकार्य नहीं होगा।

31. निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार का शुद्धि पत्र www.bswc.co.in वेबसाईट पर प्रकाशित किया जाएगा। निविदाकर्त्ता उक्त वेबसाईट से प्रकाशित निविदा से संबंधित किसी भी अद्यतन जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं।

32. निविदाकर्त्ता निविदा से संबंधित सभी कागजात पर क्रम संख्या डालकर उसे क्रमानुसार जमा करें, ताकि उन कागजात को आसानी से ढूंढा जा सके।

33. निविदाकर्त्ता को जमा किये गए निविदा से संबंधित सभी कागजातों की सुस्पष्टता के बारे में स्वयं संतुष्ट होना चाहिए, की वे पढ़ने योग्य हैं।

34. वित्तीय बीड में सभी सफल निविदाकारों का दर एक समान होने की स्थिति में बिहार सरकार लोक निर्माण संहिता में निहित प्रावधान के अनुसार कार्य का आवंटन लौटरी प्रक्रिया से किया जाएगा।

35. निविदा के पुर्व निविददाता कार्यस्थल का निरीक्षण कर संतुष्ट होकर ही निविदा डालेंगे अन्यथा कार्य के दौरान या इसके बाद उनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

36. निर्माण कार्य में भुगतान के पुर्व गुण नियंत्रण प्रमाण पत्र प्राप्त कर कार्यालय में समर्पित करना होगा।

37. सुशर्त्त निविदा किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा। इसे अस्वीकृत किया जायेगा तथा EMD की राशि जब्त की जायेगी।

38. कोई भी Post Tender Negotiation नहीं किया जायेगा।

39. निविदा खोलने के लिए तय तिथि को, यदि अवकाश घोषित किया जाता है, तो अवकाश के बाद अगले कार्य दिवस पर निविदा को निर्धारित समय पर खोला जाएगा।

40. तकनीकी बोली (Technical Bid) में सफल निविदादाता की ही वित्तीय बोली (Financial Bid) प्राप्त मुहरबंद लिफाफे को खोली जायेगी।

41. वित्तीय बोली के खोले जाने से पूर्व तकनीकी निविदा में सफल सभी निविदादाता के द्वारा सभी मूल कागजात/प्रमाण पत्र/शपथ पत्र आदि को सत्यापन के लिए बिहार राज्य भंडार निगम, प्रधान कार्यालय, पटना में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। जमा किये गये कागजातों/प्रमाण पत्र/शपथ पत्र आदि के मूल प्रति को सत्यापन के लिए प्रस्तुत नहीं करने वाले निविदादाता की वित्तीय बोली नहीं खोली जायेगी तथा उनकी निविदा अस्वीकृत कर अग्रधन राशि जब्त कर ली जाएगी।

42. वित्तीय बोली के शब्दों और अंकों में यदि कोई अंतर होता है तो दोनों में जो भी न्यून होगा, वहीं बोली मान्य होगी।

43. सभी निर्देशों को शर्त्तों के अनुरूप पढ़ा एवं संव्यवहार किया जाना चाहिए।

44. विशेष जानकारी के लिए कार्य अवधि में अधोहस्ताक्षरी से सम्पर्क किया जा सकता है अथवा कार्यालय के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।

45. निविदादाता द्वारा समर्पित सूचना/कागजात/प्रमाण पत्र/शपथ पत्र आदि के छद्म/फर्जी/गलत पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना/कारण पृच्छा के उनके निविदा को अमान्य/रद्द किया जायेगा तथा उनको काली सूचीबद्ध कर उनके द्वारा समर्पित राशि को जब्त किया जायेगा एवं उनके विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

46. न्युनतम दर दाता (L1) के साथ दर की समीक्षा की जायेगी।

47. बिहार राज्य भंडार निगम के प्रबंध निदेशक के पास बिना कोई कारण बताए अथवा कोई सूचना दिये बगैर निविदा को संशोधित/स्वीकार/अस्वीकार एवं किसी भी समय रद्द करने अथवा एतद संबंध में कोई भी निर्णय का अधिकार सुरक्षित होगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार/मान्य नहीं होगा।

प्रबंध निदेशक
बिहार राज्य भंडार निगम, पटना